भीम
BHIM
भारत इंटरफेस फॉर मनी

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022 जयपुर, दिनांकः 21 अगस्त, 2024

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा राज्य में विधानसभा आम चुनाव, 2024 हेतु दिनांक 01.10.2024 को मतदान करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग में प्रावधानानुसार **हरियाणा राज्य की सीमा से लगते हुए राजस्थान राज्य के सीमावर्ती जिलों के 3 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात दिनांक 29.09.2024 को सायंकाल से दिनांक 01.10.2024 को सायंकाल तक, मतगणना दिवस दिनांक 04.10.2024 को एवं पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन 'सूखा दिवस'** घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

sd/-
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनकी अशा.टीप क्रमांक प.8(1)(22)निर्वा./2024/8626 दिनांक 23.08.2024 के संदर्भ में।
2. अति. मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
5. संभागीय आयुक्त, जयपुर, बीकानेर, सीकर एवं भरतपुर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रह तथा वितरण से संबंधित मद्यनिषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
7. जिला कलेक्टर, ...।
8. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर।
9. जिला आबकारी अधिकारी, ...।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव